# न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

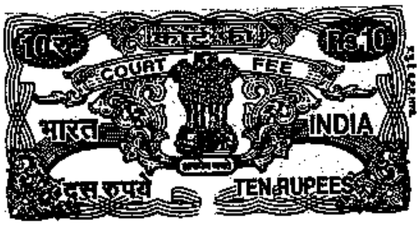


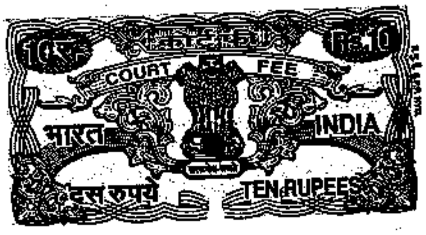


निग / 3850-PBR-15

रामकृष्ण मिश्रा आ.रामहरक मिश्रा
निवासी–सदर बाजार होशंगाबाद .................................... याचिकाकर्ता

बनाम

1.रविशंकर मिश्रा आ.रामहरक मिश्रा
निवासी–व्ही–10 प्रियदर्शनी निलयम ई–10
एक्सटेंशन तिलक नगर रोड़ भोपाल
तह. व जिला भोपाल ।
2.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर
होशंगाबाद तह. व जिला होंशगाबाद .................................... उत्तरवादीगण

## पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता की ओर से निम्न याचिका प्रस्तुत हैं :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्र.22/अभ्यावेदन/2014–15 जिसके पक्षकार रविशंकर मिश्रा बनाम रामकृष्ण मिश्रा हैं, में पारित आदेश दिनांक 10/09/2015 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता हैं :–

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** निगरानी 3850–पीबीआर/15 [रामकृष्ण/रविशंकर आदि] जिला होशंगाबाद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14–6–2016 | अनावेदक कमांक 1 रविशंकर मिश्रा स्वयं उपस्थित । उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बतलाया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–16 में त्रुटिवश अनावेदक कमांक 1 रविशंकर मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्राक टाईप हो गया है, जबकि अनावेदक कमांक 1 रविशंकर मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्रा टाईप होना चाहिए था । इसी प्रकार आदेश के पैराग्राफ 2 में प्लाट नं. 56 क्षेत्रफल 865 वर्गफुट में से 0.433 वर्गफुट भूमि टाईप हो गया है, जबकि प्लाट नं. 56 क्षेत्रफल 865 वर्गफुट में से 433 वर्गफुट भूमि टाईप होना चाहिए था । साथ ही आदेश के पृष्ठ कमांक 2 पर 582 वर्गफुट शेष था टाईप हो गया है, जबकि 522 वर्गफुट शेष था टाईप होना चाहिए । इसके अतिरिक्त अनावेदक कमांक 1 के पते में प्रियदर्शनी निलयम ई–10 के स्थान पर ई–8 सुधारा जाये ।<br>2/ आवेदन पत्र के संदर्भ में आदेश का अवलोकन किया गया । आदेश में अनावेदक कमांक 1 रविशंकर मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्राक के स्थान पर रविशंकर मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्रा पढ़ा जाये । इसी प्रकार आदेश के पैराग्राफ 2 में प्लाट नं. 56 क्षेत्रफल 865 वर्गफुट में से 0.433 वर्गफुट भूमि के स्थान पर प्लाट नं. 56 क्षेत्रफल 865 वर्गफुट में से 433 वर्गफुट भूमि पढ़ा जाये एवं पृष्ठ 2 पर 582 वर्गफुट शेष था के स्थान पर 522 वर्गफुट शेष था पढ़ा जाये। चूंकि निगरानी मेमों में पते में प्रियदर्शनी निलयम ई–10 ही अंकित है, अतः उसमें संशोधन किया जाना उचित नहीं है । यह आदेश, मूल आदेश का अंग होगा, अतः उसके साथ संलग्न किया जाये ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |